तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **राघवेश द्विवेदी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** **सू.अ.अ. अपील संख्या 160/2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.20	अपीलार्थी राघवेश द्विवेदी, पता ग्राम नेचुआ खास, पो0 नेचुआ जलालपुर, प्रखण्ड कुचायकोर जिला गोपालगंज (बिहार) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.07..20 में उसके द्वारा (1) के.सी. जैन कम्पनी पता एच. 02 द्वितीय फ्लॉर एन.के. टॉवर, कोहिनूर सिनेमा के सामने, जोधपुर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र, फायर पल्यूसन, कम्पनी का लाईसेन्स, कम्पनी खुद फाईनेंस करती है या दूसरों से कराती है, व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 777 दिनांक 21.09.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 543 दिनांक 05.08. 2020 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि चाही गई सूचना से संबंधित अभिलेख का संधारण इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता है और न ही इस कार्यालय से संबंधित है, ऐसी स्थिति में सूचना दिया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का अभिलेख कलक्टर कार्यालय में संधारित नहीं किये जाने से प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है अतः लोक सूचना अधिकारी स्तर पर कोई कार्यवाही अब अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश प्रति के साथ लो.सू.अ. का पत्रांक 543 दिनांक 05.08.20 की फोटो प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.12 17:27:29 IST
Reason: SelfAttested